

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 139 / 2016

तारीख रजु 08.09.2016

उनवान

प्रेमसिंह पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी रतनुपरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—वादीगण(01)

बनाम

श्री रामलाल जाति जाटव निवासी रतनुपरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादी(07)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री राजवीर सिंह राज एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा तकास्मा आराजीयात, एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्थित ग्राम महू इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन के खसरा न. 180 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 21.01.2020 को तलवाना की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 139/2016 प्रेमसिंह बनाम ममता अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

